

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291-2430440, 2636572 ई मेल bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/ 2020-21/


दिनांक

--: कार्यालय आदेश (संख्या 04) :-

आदेश क्रमांक एफ 5(101)प्राशिमं/सामान्य/2020-21/2410-11 दिनांक 07/08/2020 के अतिक्रमण में लेख है कि **SS Polytechnic College, Umarda, Udaipur** के ई मेल पत्र क्रमांक शून्य DATED 02-09-2020 के साथ प्रेषित की गई संस्था के लिए AICTE से जारी संशोधित EOA आदेश क्रमांक F. No. North-West/1-7003480909/2020/EOA/Corrigendum-2 DATED 31-07-20 के आधार पर सत्र 2020-21 के लिए **SS Polytechnic College, Umarda, Udaipur** के लिए निम्नानुसार संशोधित सम्बद्धता नवीनीकरण आदेश जारी किया जाता है :-

S. N o.	BTER INSTITUTE CODE	As Per EOA Issued by AICTE					
		NAME OF THE INSTITUTE	INSTITUTE ADDRESS	District	Govt /Pvt/ PPP	EOA NO.	BRANCH
01	214	SS Polytechnic College, Umarda, Udaipur	Jhamar Kotda Road, Umarda, Udaipur-313001	Udaipur	Pvt.	North-West/1-7003480909/2020/EOA DATE-31-Jul- 2020	1st Shift ME-120, EE-180, CE-60, CS-60 2nd Shift CE-60

CE-Civil Engineering, CS-Computer Science & Engineering, EE-Electrical Engineering, ME- Mechanical Engineering



(राजेश व्यास)
संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/ 2020-21/ 3073

दिनांक 16 SEP 2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। (द्वारा ई मेल)
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर। (द्वारा ई मेल)
3. प्रधानाचार्य, **SS Polytechnic College, Umarda, Udaipur** (संस्थान कोड 214) (द्वारा ई मेल)
4. संयुक्त निदेशक, ई-2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जोधपुर।
6. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जोधपुर।
7. विभागाध्यक्ष (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जोधपुर।
8. श्री रघुनाथ सिंह चौहान, शैक्षणिक अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, प्रा. शि. म. राज. जोधपुर को मण्डल की साईट पर अपलोड करने हेतु।


(राजेश व्यास)
संयुक्त निदेशक एवं सचिव